न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 06/2021

अपीलान्ट :– श्रीमति गुडीकंवर पुत्री भंवरलाल पत्नी रमेशचन्द्र जाति राव, निवासी आनन्द डेयरी के पास चांदणा भाकर के पास जोधपुर जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेंट्स :–

1. पुखराज पुत्र भंवरलाल
2. विनोद पुत्र विजयराज
3. सीमा पुत्री विजयराज
4. सुमन पुत्री विजयराज
5. मंजूदेवी पत्नी विजयराज
6. मुन्नी पुत्री भंवरलाल

   जातियान राव निवासीगण पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
7. सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 374 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत पड़ासला कलॉ

1. अपीलान्ट की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 अनुपस्थित।

:: निर्णय :: **दिनांक** 10/10/2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा की सरहद में अपीलाण्ट के पिता भंवरलाल उर्फ भंवरदान की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 192/5 रकबा 2.4270 हैक्टेयर (15 बीघा) आयी हुयी है। भंवरलाल जी का देहान्त सन् 2000 में हो गया। देहान्त के समय भंवरलाल के उतराधिकारी उनके दो पुत्र पुखराज, विजयराज तथा दो पुत्रिया अपीलाण्ट श्रीमति गुड्डीकंवर, मुन्नीकंवर तथा पत्नी श्रीमति कंचन थे, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उतराधिकारियों का म्यूटेशन संख्या 374 भरते समय केवल भंवरलाल के दो पुत्रों एवं पत्नी का नाम ही लिख दिया एवं सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला कलॉ द्वारा बीना किसी प्रकार की जॉच किये वह म्यूटेशन नियम विरूद्ध स्वीकृत कर दिया।

अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पड़ासला कलॉ द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 374 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा मृतक खातेदार भंवरलाल उर्फ भंवरदान की भूमि में उनकी पुत्री अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावे।

अपीलाण्ट्स ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट मृतक खातेदार भंवरलाल उर्फ भंवरदान की पुत्री होने से वह उनकी प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है तथा भंवरलाल की भूमि में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करने से पहले अपीलाण्ट को कोई नोटिस या सूचना नही दी गयी। जबकि नियमानुसार खातेदार के सभी उतराधिकारियों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट ने पटवारी पड़ासला कलॉ से अपने पिता भंवरलाल की भूमि की जमाबन्दी की नकल चाही तो पटवारी ने बताया कि उपरोक्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 के पिता व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के पति विजयराज तथा कंचन पत्नी भंवरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तब अपीलाण्ट ने भंवरलाल के देहान्त पर उतराधिकारी के आधार पर स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 374 की नकल हल्का पटवारी से दिनांक 22.10.2021 को प्राप्त की गयी। पटवारी हल्का से अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी हुई। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि म्यूटेशन संख्या 374 के विरूद्ध की गयी अपील को जानकारी तिथि से अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्ट्स को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 उपस्थित नही होने से उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन संख्या 374 ग्राम पड़ासला कलॉ का जो कि रेस्पोडेण्ट 7 द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा खातेदार भंवरलाल उर्फ भंवरदान का देहान्त होने के आधार पर स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई को सुनवाई का अवसर नही दिया तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उनके नाम से म्यूटेशन स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत पड़ासला कलॉ द्वारा ऐसा नही किया गया। इसलिए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा स्वीकृत आलौच्य म्यूटेशन संख्या 374 निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 7 द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 374 ग्राम पड़ासला कलॉ को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो निरस्त का नोट उक्त म्यूटेशन की मूल प्रति पर अंकित करे तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम पडासला कलॉ तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 192/5 रकबा 2.4270 हैक्टेयर के सम्बंध में मृतक खातेदार भंवरलाल उर्फ भंवरदान के समस्त विधिक वारिसानों की जॉच की जाकर, अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/10/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा